

CHAPTER - XIV
TRANSITIONAL PROVISIONS

Rule 117 : Tax or duty credit carried forward under any existing law or on goods held in stock on the appointed day

- (1) Every registered person entitled to take credit of input tax under section 140 shall, within ninety days of the appointed day, submit a declaration electronically in **FORM GST TRAN-1**, duly signed, on the common portal specifying therein, separately, the amount of input tax credit ¹[of eligible duties and taxes, as defined in Explanation 2 to section 140] to which he is entitled under the provisions of the said section:

Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council, extend the period of ninety days by a further period not exceeding ninety days:

Provided further that where the inputs have been received from an Export Oriented Unit or a unit located in Electronic Hardware Technology Park, the credit shall be allowed to the extent as provided in sub-rule (7) of rule 3 of the CENVAT Credit Rules, 2004.

- ²**(1A)** Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Commissioner may, on the recommendations of the Council, extend the date for submitting the declaration electronically in **FORM GST TRAN-1** by a further period not beyond ³[31st March, 2020], in respect of registered persons who could not submit the said declaration by the due date on account of technical difficulties on the common portal and in respect of whom the Council has made a recommendation for such extension.]

- (2) Every declaration under sub-rule (1) shall-

- (a) in the case of a claim under sub-section (2) of section 140, specify separately the following particulars in respect of every item of capital goods as on the appointed day-
- (i) the amount of tax or duty availed or utilized by way of input tax credit under each of the existing laws till the appointed day; and
 - (ii) the amount of tax or duty yet to be availed or utilized by way of input tax credit under each of the existing laws till the appointed day;

¹ Inserted by Noti. No. 15/2017-Central Tax, dt. 01-07-2017 w.e.f. 01-07-2017.

² Sub-rule (1A) inserted by Noti. No. 48/2018-Central Tax, dt. 10-09-2018 w.e.f. 10-09-2018.

³ Substituted for "^A[31st December, 2019]" by Noti. No. 02/2020-Central Tax, dt. 01-01-2020 w.e.f. 31-12-2019.

^A Earlier substituted for "31st March, 2019" by Noti. No. 49/2019-Central Tax, dt. 09-10-2019.

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

- (b) in the case of a claim under sub-section (3) or clause (b) of sub-section (4) or sub-section (6) or sub-section (8) of section 140, specify separately the details of stock held on the appointed day;
- (c) in the case of a claim under sub-section (5) of section 140, furnish the following details, namely: –
 - (i) the name of the supplier, serial number and date of issue of the invoice by the supplier or any document on the basis of which credit of input tax was admissible under the existing law;
 - (ii) the description and value of the goods or services;
 - (iii) the quantity in case of goods and the unit or unit quantity code thereof;
 - (iv) the amount of eligible taxes and duties or, as the case may be, the value added tax [or entry tax] charged by the supplier in respect of the goods or services; and
 - (v) the date on which the receipt of goods or services is entered in the books of account of the recipient.
- (3) The amount of credit specified in the application in **FORM GST TRAN-1** shall be credited to the electronic credit ledger of the applicant maintained in **FORM GST PMT-2** on the common portal.
- (4) (a) (i) A registered person who was not registered under the existing law shall, in accordance with the proviso to sub-section (3) of section 140, be allowed to avail of input tax credit on goods (on which the duty of central excise or, as the case may be, additional duties of customs under sub-section (1) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975, is leviable) held in stock on the appointed day in respect of which he is not in possession of any document evidencing payment of central excise duty.
 - (ii) The input tax credit referred to in sub-clause (i) shall be allowed at the rate of sixty per cent. on such goods which attract central tax at the rate of nine per cent. or more and forty per cent. for other goods of the central tax applicable on supply of such goods after the appointed date and shall be credited after the central tax payable on such supply has been paid:

Provided that where integrated tax is paid on such goods, the amount of credit shall be allowed at the rate of thirty per cent. and twenty per cent. respectively of the said tax;
 - (iii) The scheme shall be available for six tax periods from the appointed date.
- (b) The credit of central tax shall be availed subject to satisfying the following conditions, namely:-

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

- (i) such goods were not unconditionally exempt from the whole of the duty of excise specified in the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 or were not nil rated in the said Schedule;
- (ii) the document for procurement of such goods is available with the registered person;
- ⁴(iii) The registered person availing of this scheme and having furnished the details of stock held by him in accordance with the provisions of clause (b) of sub-rule (2), submits a statement in **FORM GST TRAN 2** by 31st March 2018, or within such period as extended by the Commissioner, on the recommendations of the Council, for each of the six tax periods during which the scheme is in operation indicating therein, the details of supplies of such goods effected during the tax period:]
 - ⁵[**Provided that** the registered persons filing the declaration in **FORM GST TRAN-1** in accordance with sub-rule (1A), may submit the statement in **FORM GST TRAN-2** by ⁶[30th April, 2020];]
- (iv) the amount of credit allowed shall be credited to the electronic credit ledger of the applicant maintained in **FORM GST PMT-2** on the common portal; and
- (v) the stock of goods on which the credit is availed is so stored that it can be easily identified by the registered person.

⁴ Clause (iii) substituted by Noti. No. 12/2018-Central Tax, dt. 07-03-2018 w.e.f. 07-03-2018. Earlier to substitution it read as under:

"(iii) the registered person availing of this scheme and having furnished the details of stock held by him in accordance with the provisions of clause (b) of sub-rule (2), submits a statement in **FORM GST TRAN-2** at the end of each of the six tax periods during which the scheme is in operation indicating therein, the details of supplies of such goods effected during the tax period;"

⁵ Proviso inserted by Noti. No. 48/2018-Central Tax, dt. 10-09-2018 w.e.f. 10-09-2018.

⁶ Substituted for "A[31st January, 2020]" by Noti. No. 02/2020-Central Tax, dt. 01-01-2020 w.e.f. 01-01-2020.

A Earlier substituted for "30th April, 2019" by Noti. No. 49/2019-Central Tax, dt. 09-10-2019.

अध्याय 14

संक्रमणकालीन उपबंध

नियम 117 : नियत दिन पर स्टॉक में रखे माल पर किसी विद्यमान विधि के अधीन कर या शुल्क प्रत्यय का अग्रोषण

- (1) धारा 140 के अधीन निवेश कर के प्रत्यय को लेने का अधिकार प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नियत दिन के नब्बे दिन के भीतर **प्ररूप जीएसटी ट्रान-1** में सम्यक रूप से हस्ताक्षर कर सामान्य पोर्टल पर जिसमें पृथक रूप से ¹[धारा 140 के स्पष्टीकरण 2 में यथापरिभाषित उपयुक्त शुल्क और करों के] निवेश कर प्रत्यय की रकम जिसका वह उक्त धारा के उपबंधों के अधीन हकदार है पृथक रूप से विनिर्दिष्ट करते हुए इलेक्ट्रानिक रूप से घोषणा प्रस्तुत करेगा :

परन्तु यह कि आयुक्त परिषद् की सिफारिश पर नब्बे दिन से अनधिक और अवधि द्वारा नब्बे दिन की अवधि की सीमा बढ़ा सकेगा।

परन्तु यह और कि जहां निवेश निर्यात उद्देश्यति इकाई या इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रोद्योगिक पार्क में अवस्थित इकाई से प्राप्त हुआ है, वहां प्रत्यय सेनवेट प्रत्यय नियम, 2004 के नियम 3 का उपनियम (7) में यथाउपबंधित सीमा तक अनुज्ञेय होगा।

- ²[(1क) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, जो सामान्य पोर्टल पर तकनीकी कठिनाईयों के कारण देय तारीख तक उक्त घोषणा प्रस्तुत नहीं कर सके, के सम्बन्ध में और उन व्यक्तियों जिनकी परिषद् ने ऐसे विस्तार के लिए सिफारिश की है, के सम्बन्ध में **प्ररूप जीएसटीआरएएन-1** में इलेक्ट्रानिक रूप से घोषणा प्रस्तुत करने की तारीख को ऐसी और अवधि तक, जो ³[31 मार्च, 2020] से आगे नहीं होगी, बढ़ा सकेगा।

- (2) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक घोषणा में—

(क) धारा 144 की उपधारा (2) के अधीन दावे की दशा में नियत दिन पर पूंजी माल के प्रत्येक मद की बाबत निम्नलिखित विशिष्टियां पृथक रूप से विनिर्दिष्ट की जाएगी—

- (i) नियत दिन तक प्रत्येक विद्यमान विधि के अधीन निवेश कर प्रत्यय के माध्यम से लभ्य या प्रयुक्त कर या शुल्क की रकम; और

1 अधिसूचना क्रमांक 15/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 01.07.2017 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)।

2 अधिसूचना क्रमांक 48/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 10.09.2018 द्वारा उप-नियम (1क) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 10.09.2018)।

3 अधिसूचना क्रमांक 2/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 01.01.2020 द्वारा "A[31 दिसम्बर, 2019]" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 31.12.2019)।

A इसके पूर्व अधिसूचना क्रमांक 49/2019 - केन्द्रीय कर, दिनांक 09.10.2019 द्वारा "31 मार्च, 2019" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

- (ii) नियत दिन तक प्रत्येक विद्यमान विधि के अधीन निवेश कर प्रत्यय के माध्यम से अभी तक लभ्य या प्रयुक्त किए जाने वाले कर या शुल्क की रकम; और
- (ख) धारा 140 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के खंड (ख) या उपधारा (6) या उपधारा (8) के अधीन दावे की दशा में नियत दिन पर रखे स्टॉक ब्यौरा पृथक रूप से विनिर्दिष्ट किया जाएगा;
- (ग) धारा 140 की उपधारा (5) के अधीन दावे की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत किए जाएंगे, अर्थात् :
- (i) प्रदायकर्ता का नाम, क्रम संख्यांक और प्रदायकर्ता द्वारा बीजक को जारी करने की तारीख या कोई दस्तावेज जिसके आधार पर निवेश कर का प्रत्यय विद्यमान विधि के अधीन अनुज्ञेय था;
- (ii) माल या सेवा का वर्णन और मूल्य;
- (iii) माल की दशा में मात्रा और उस पर इकाई या इकाई मात्रा कोड;
- (iv) पात्र कर और शुल्क की रकम यथास्थिति मूल्यवर्धित कर या (प्रवेश शुल्क) जो प्रदायकर्ता द्वारा माल या सेवाओं के बाबत प्रभारित किया गया है; और
- (v) वह तारीख जिसको माल या सेवाओं की रसीद प्राप्तकर्ता के खाते की पुस्तकों में प्रविष्ट की गई है।
- (3) प्ररूप जीएसटी ट्रान-1 में आवेदक में विनिर्दिष्ट प्रत्यय की रकम समान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी पीएमटी-02 में रखे गए आवेदन के इलैक्ट्रॉनिक प्रत्यय बहि को प्रत्ययित की जाएगी।
- (4) (क) (i) एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, धारा 140 की उपधारा (3) के परन्तु के अनुसरण में नियत दिन पर स्टॉक में रखे माल जिसके बाबत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संदाय करने के साक्ष्य के रूप में कोई दस्तावेज उसके पास नहीं है माल पर निवेश कर प्रत्यय को लेने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा (जिस पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या यथास्थिति सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अतिरिक्त सीमा-शुल्क की अतिरिक्त शुल्क उद्ग्रहीत है)।
- (ii) उपखंड (i) में निवेश कर प्रत्यय ऐसे माल पर जिस पर केन्द्रीय कर नौ या अधिक प्रतिशत की दर से है, छह: प्रतिशत की दर से अनुज्ञेय होगा और नियत दिन के पश्चात् ऐसे माल के प्रदाय पर लागू केन्द्रीय कर का अन्य माल पर चालीस प्रतिशत की दर से होगा तथा ऐसे प्रदाय के संदत्त किए जाने पर केन्द्रीय कर के संदाय के पश्चात् प्रत्ययित किया जाएगा :
- परन्तु** यह कि जहां समेकित कर माल पर संदत्त है वहां प्रत्यय की रकम तीस प्रतिशत और उक्त कर के बीस प्रतिशत की दर से क्रमशः अनुज्ञेय होगी;
- (iii) यह स्कीम नियत दिन से छह: कर अवधियों के लिए उपलब्ध होगी।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

(ख) केन्द्रीय कर का प्रत्यय निम्नलिखित दशाओं को पूरा करने के अध्याधीन प्राप्य होगी, अर्थात् :-

- (i) ऐसा माल केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्पाद शुल्क के संपूर्ण शुल्क से अप्रतिबंध रूप से छूट प्राप्त नहीं होगा या उक्त अनुसूची में शून्य दर नहीं होगा;
- (ii) ऐसे माल के प्रापण के लिए दस्तावेज रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास उपलब्ध है;
- ⁴(iii) इस स्कीम का लाभ उठाने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति और उप-नियम (2) के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसरण में उसके द्वारा रखे गए माल के ब्यौरे 31 मार्च, 2018 तक या ऐसी अवधि के भीतर जैसा परिषद् की सिफारिशों पर आयुक्त द्वारा विस्तारित की जाए, प्ररूप जीएसटी ट्रान-2 में छह कर अवधियों के प्रत्येक के लिए जिसके दौरान स्कीम कर अवधि के दौरान प्रभावित ऐसे माल के प्रदाय के ब्यौरे उसमें उपदर्शित करते हैं, कथन प्रस्तुत करेगा;]

⁵[परन्तु उपनियम (1क) के अनुसार प्ररूप जीएसटी टीआरएन-1 में घोषणा फाइल करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ⁶[30 अप्रैल, 2020] तक प्ररूप जीएसटी टीआरएन-2 में विवरण प्रस्तुत कर सकेंगे;]

- (iv) अनुज्ञात प्रत्यय की रकम समान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी पीएमटी-2 में रखे गए आवेदक के इलैक्ट्रॉनिक प्रत्यय बहि को प्रत्ययित की जाएगी; और
- (v) माल का स्टॉक जिसको प्रत्यय उपलब्ध है, इस प्रकार भंडारित है कि यह रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है।

4 अधिसूचना क्रमांक 12/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 07.03.2018 द्वारा खंड (iii) प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 07.03.2018)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

"(iii) इस स्कीम का लाभ उठाने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपनियम (2) के खंड (ख) के अनुसरण में उसके द्वारा रखे माल का ब्यौरा प्ररूप जीएसटी ट्रान-2 छह: कर अवधियों के प्रत्येक के अंत पर जिसके दौरान स्कीम कर अवधि के दौरान प्रभावित माल की ऐसे माल के प्रदाय के ब्यौरे इंगित करते हैं कथन प्रस्तुत करेगा;"

5 अधिसूचना क्रमांक 48/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 10.09.2018 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 10.09.2018)।

6 अधिसूचना क्रमांक 2/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 01.01.2020 द्वारा "A[31 जनवरी, 2020]" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.01.2020)।

A इसके पूर्व अधिसूचना क्रमांक 49/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 09.10.2019 द्वारा "30 अप्रैल, 2019" के स्थान पर प्रतिस्थापित।